यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी के माह 04/2012 से 01/2017 तक के अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अरविन्द शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री संजय कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं दयाशंकर, वरि0 लेखा परीक्षक द्वारा दिनॉक 08.02.2017 से 13.02.2017 तक श्री डी0 एन0 मिश्रा, व0 लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–1

1. (अ) परिचयात्मक : इस इकाई की विगत लेखा परीक्षा श्री प्राचीश सिंघल, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 11.07.2012 से 16.07.12 तक श्री डी0 पी0 लखेड़ा, लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09/2008 से 03/2012 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखा परीक्षा में माह 04/2012 से 01/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः– हल्द्वानी जिले के शहरी/गामीण क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं को चिकित्सा प्रदान करना।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रू0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (–)
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय		
2013–14	0	26.56	202.66	202.66	50.00	48.49	0	28.07
2014–15	0	28.07	247.79	247.79	72.72	53.22	0	47.55
2015–16	0	47.55	276.40	276.40	75.00	71.78	0	50.77

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण।

(धनराशि रू0 में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा0 अवशेष	प्राप्त	अन्य	कुल धनराशि	व्यय	अवशेष
2013–14	RCH	2354161	12754795	0	15108956	13005916	2103039
	NRHM	233959	1359034	0	1592993	996555	596437
	Immunization	93973	1319150	0	1413123	1286709	126413
2014–15	RCH	2103039	12510231	0	14613271	10585845	4027425
	NRHM	596437	1142157	0	1738594	1085788	652805
	Immunization	126413	1136490	0	1262903	1070224	192678
2015–16	RCH	4027425	8093284	0	12120709	9032552	3088157
	NRHM	652805	2597662	0	3250468	2418995	831472
	Immunization	192678	1270360	0	1463039	1259662	203375

(iii) इकाई को बजट आबंटन केन्द्रांश एवं राज्यांश मद के द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी सी श्रेणी की है।

(iv) लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखा परीक्षा विधिः लेखा परीक्षा में मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी की लेखा परीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 08/2015 एवं माह 06/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। इकाई में कोई वृहत निर्माण कार्य नहीं किया गया।

(v) लेखा परीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग - III

1. विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग दो–अ	भाग दो–ब	STAN
103/2008–09	–	1	–
122/2012–13	–	1, 2	1

2. विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
-----शून्य------				

भाग - IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य :–   –शून्य–

प्रस्तर **-1**:–गुणवत्ता जांच किये बगैर ही रू0 141.09 लाख की औषधियों को वितरित किया जाना।

शासनादेश संख्या–1284/XXVIII-5-2008-24/2008 दिनांक 08 अगस्त 2008 के बिन्दु संख्या 10 में यह निर्देशित किया गया था कि 'एक बार में क्रय की गयी प्रत्येक औषधि के 20 प्रतिशत दवाओं का रेण्डम नमूने लेकर उनका अधिकृत, ख्याति प्राप्त संस्थाओं से विश्लेषण कराया जाएगा ताकि औषधि की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। औषधि के नमूनों की जांच हेतु शासन द्वारा अनुमोदित जांचकर्ता फर्मों के पैनल से इस हेतु निर्धारित की गयी प्रक्रिया के अनुरूप जांच करायी जायेगी। यह प्रक्रिया क्रय की गयी औषधि के 01–02 माह के भीतर सुनिश्चित की जायेगी।''

अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा वर्ष 2012–13 में रू0 25,82,105 वर्ष 2013–14 में रू0 52,04,420 वर्ष 2014–15 में रू0 22,74,323 वर्ष 2015–16 में रू0 25,72,074 एवं वर्ष 2016–17 में रू0 16,50,611 कुल रू0 142,82,533 मूल्य की औषधियों का क्रय किया गया उसमें से वर्ष 2013–14 में मात्र 11 औषधि वर्ष 2014–15 में 08 औषधि वर्ष 2015–16 में 08 कुल रू0 173815 मूल्य की 27 औषधियों को नमूना जांच हेतु प्रेषित किया गया एवं वर्ष 2012–13 एव वर्ष 2016–17 में किसी भी औषधि का रेण्डम नमूना लेकर उसकी गुणवत्ता की जांच नहीं करायी गयी, जबकि नियमानुसार प्रत्येक औषधि के 20 प्रतिशत दवाओं की जांच अनिवार्य है। इस प्रकार कुल रू0 14108718 (14282533–173815) मूल्य की औषधियों की गुणवत्ता जांच किये बगैर ही उनका उपयोग किया गया।

लेखा परीक्षा की आपत्तियों को स्वीकारते हुये विभाग ने भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने का आश्वासन दिया।

अतः गुणवत्ता जांच किये बगैर ही रू0 141.09 लाख की औषधियों को वितरित किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर -2:–रू0 10.16 लाख मूल्य की औषधियों का अनियमित क्रय किया जाना।

शासनादेश संख्या–1284/XXVIII-5-2008-24/2008 दिनांक 08 अगस्त 2008 के बिन्दु संख्या 10 में यह निर्देशित किया गया था कि 'प्रत्येक निविदा दात्री फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधि उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होंगी'। इसके अतिरिक्त शासनादेश सं0 50(9)/2010 दिनांक 10 दिस0 2013 में उल्लिखित 103 आवश्यक औषधियों का क्रय राज्य स्तर पर किये जाने के उपरान्त उसे सम्बन्धित चिकित्सालयों में वितरित किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि उक्त नियमों के विपरीत इकाई द्वारा वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में कुल रू0 1,19,515 मूल्य की ऐसी औषधियों का क्रय किया गया जोकि उनके निर्माण की तिथि से अधिकतम 15 माह से अधिक पुरानी थी। इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में आया कि रू0 8,96,998 मूल्य की ऐसी औषधियों का क्रय सीधे फर्मों से किया गया जोकि 103 औषधियों की सूची में शामिल है जिसे राज्य स्तर से प्राप्त किया जाना चाहिए था। इस प्रकार कुल रू0 10,16,513 मूल्य की अनियमित औषधियों का क्रय किया गया। विवरण निम्नवत है।

S..	Name of medicins	MFG Date	3 Month Validity	Pur/Rec. Date	Delay period	Quantity	Amt.
				CMSD Suply			
1	Albendazol	10/13	01/14	20.10.14	8 Month 20 days	4800	4008
2	Amoxyclav	07/13	10/13	20.10.14	11 Month 20 days	2100	13797
3	Amoxyclav	08/13	11/13	21.05.14	05 Month 21 days	2160	7862
4	Amoxyclav	10/13	01/14	20.10.14	08 Month 20 days	2220	10615
5	Amoxyclav	10/13	01/14	20.10.14	08 Month 20 days	1020	4404
6	Amoxycillin	07/13	10/13	20.10.14	11 Month 20 days	1020	0
7	Astymin Forte	01/14	04/14	20.10.14	05 Month 20 days	4800	18086
8	Amoxycillin+Cavulanic	10/13	01/14	15.10.14	08 Month 14 days	225	4116
9	Amoxycillin+Cavulanic	11/13	02/14	20.10.14	07 Month 20 days	250	4462
10	Amoxycillin+Cavulanic	11/12	02/13	05.08.14	15 Month 05 days	250	0
11	Astumin-3	01/14	04/14	20.10.14	05 Month 20 days	40x200ml	4380
12	Azithromycin	02/14	05/14	20.10.14	04 Month 20 days	1000	7780
13	Cefuroxime Tab	02/14	05/14	20.10.14	04 Month 20 days	2960	9805
14	Ciprofloxacin	12/13	02/14	20.10.14	07 Month 20 days	1000x100	8250
15	Cefrazidime inj	09/13	12/13	17.09.14	08 Month 17 days	300	0
16	Cetrizine	09/13	12/13	17.09.14	08 Month 17 days	50000	4650
17	Cord clamp	03/14	06/14	04.12.14	05 Month 04 days	2600	14300
18	Diclonec Tab	11/13	02/14	20.10.14	7 Month 20 days	25000	3000
				Total			119515
				Direct Purchased			
1	Amoxycillin	01/14	04/14	21.07.14	02 Month 21 days	25000	50000
2	Amoxycillin	05/13	08/13	10.04.14	07 Month 10 days	40000	103688
3	Amoxycillin+clavulant			08.05.15		1500	85080
4	Amoxycillin			19.03.15		10x10x350	93607
5	Atropine Inj.	12/13	03/14	09.07.14	03 Month 09 days	1000	2000

6	Atropine Inj.	11/14	02/15	28.02.15	28 days	500	1000
7	Ampicillin Inj.	10/12	01/13	01.05.14	15 Month	1875	10500
8	Cetrizine Tab	02/14	05/14	10.04.14		50000	103688
9	Cetrizine Syp	09/13	12/13	03.12.13		3000	19500
10	Cefixime Tab	02/14	05/14	16.04.14		10000	64418
11	Cefixime Tab	11/14		03.12.14		30000	79500
12	Cefixime	01/15		24.03.15		22020	92073
13	Ceftrioxone+Tazomac			29.12.14		2000	35540
14	Metronidazole Tab	02/15		16.05.15		1000	86830
Total							827424
Grand Total							1016513

निर्माण तिथि से तीन माह पुरानी औषधियों को क्रय करने के सम्बन्ध में विभाग ने बताया कि औषधियां सी0एम0एस0डी0 स्तर पर क्रय किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित चिकित्सालय में आपूर्ति की जाती है जिस कारण विलम्ब से प्राप्ति होती है। भविष्य में सी0एम0एस0डी0 से तत्काल औषधियों को प्राप्त करने हेतु प्रत्राचार किया जायेगा। सी0एम0एस0डी0 से प्राप्त की जाने वाली औषधियों को सीधे बाजार से क्रय करने के सम्बन्ध में बताया गया कि सी0एम0एस0डी0 से औषधियों की आपूर्ति वर्ष में दो–तीन बार ही होती है जबकि चिकित्सालय में औषधि की आवश्यक्ता अधिक होती है। अतः मरीजों के उपचार हेतु लोकल स्तर से औषधियों का क्रय करना आवश्यक होता है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि फर्म से सी0एम0एस0डी0 पर औषधियां उनकी निर्माण तिथि से तीन माह के भीतर प्राप्त हो गयी थी या नहीं इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था एवं सी0एम0एस0डी0 से 15 माह पुरानी औषधि प्राप्त करने से पूर्व इस सम्बन्ध में लिखित में आपत्ति व्यक्त करनी चाहिए थी जोकि इकाई द्वारा नहीं की गयी। सी0एम0एस0डी0 से प्राप्त की जाने वाली औषधियों को सीधे बाजार से क्रय करना इस लिए मान्य नहीं है कि यदि चिकित्सालय में इस औषधियों की ज्यादा खपत होती है तो वर्ष की खपत के अनुसार उसकी मांग की जानी चाहिए थी। सी0एम0एस0डी0 से उक्त की आपूर्ति करने पर कोई असमर्थता व्यक्त करने पर ही उनका सीधे बाजार से क्रय किया जाना चाहिए था। इस सम्बन्ध में कोई भी लिखित साक्ष्य विभाग के पास उपलब्ध नहीं था।

अतः रू0 10.16 लाख मूल्य की औषधियों का अनियमित क्रय किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर -3:–रू0 11.30 लाख की निष्प्रयोज्य सामाग्रियों की नीलामी न किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली आदेश संख्या 177/XXXVII(7)/2008 देहरादून दिनांकः 01 मई, 2008 के बिन्दु संख्या 76 के अनुसार सामाग्रियों के भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है कि ''रजिस्टर में उल्लिखित आस्तियों/सामग्री की उपलब्धता और पुरानी और निष्प्रयोज्य सामग्री के निस्तारण हेतु कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी या उसके **समिति** द्वारा प्रतिवर्ष 31 मार्च को वार्षिक सत्यापन किया जाये। वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2010 के अनुसार फालतू और निष्प्रयोज्य भण्डार का विक्रय स्वीकृत करने हेतु जहां सामाग्रियों का बेसिक मूल्य रू0 25,000 तक हो कार्यालयाध्यक्ष को एवं जहां सामाग्रियों का बेसिक मूल्य 1.00 लाख तक हो विभागाध्यक्ष से इस पर स्वीकृति प्राप्त किये जाने का अधिकार प्रदान किया गया है।

डेड स्टाक से सम्बन्धित अभिलेखों एवं पत्रावलियों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा दिनांक 25.06.2010 को कमेटी गठित कर निष्प्रयोज्य सामाग्रियों की नीलामी करवायी गयी थी, इसके पश्चात किसी भी कमेटी का ना तो गठन किया गया एवं ना ही कोई निलामी की कार्यवायी ही प्रस्तावित की गयी। आगे जांच में यह पाया गया कि कुल रू0 11,29,541 मूल्य की निष्प्रयोज्य सामाग्रियां इकाई के पास पड़ी हुई है जिनमें से रू0 4,25,793 मूल्य की सामाग्रियों का क्रय मूल्य रू0 25 हजार से 1.00 लाख के मध्य है जिसकी नीलामी हेतु विभागाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है तथा रू0 2,84,490 मूल्य के Appratus एवं रू0 4,19,258 मूल्य के Goods निष्प्रयोज्य पड़े हैं जिसकी नीलामी सम्बन्धी कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि निलामी की कार्यवाही प्रगति पर है एवं समिति का गठन कर एवं उक्त निष्प्रयोज्य सामाग्रियों की नीलामी कर अवगत करा दिया जायेगा।

अतः रू0 11.30 लाख की निष्प्रयोज्य सामाग्रियों की नीलामी न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–2 ब

प्रस्तर -4:–रू0 8.79 लाख मूल्य की औषधियों का अनियमित क्रय किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग संख्या 177/XXXVII(7)/2008 देहरादून, दनांकः 1 मई, 2008 अधिप्राप्ति के मौलिक सिंद्धान्त बिन्दु संख्या 3(1) में स्पष्ट किया गया है कि समस्त अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, एवं बिन्दु सं0 (10) में स्पष्ट किया गया है कि अधिप्राप्ति के निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आकंलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की अवाश्यकता से बचने के लिए छोटे–छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा।

अभिलेखों की औषधि क्रय से सम्बन्धित वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के व्हाउचरों का अवलोकन करने पर पाया गया कि इकाई द्वारा कोटेशन/निविदा प्रक्रिया एवं उच्च अधिकारी की संस्तुति प्राप्त करने से बचने के लिए कुल रू0 8,78,598 मूल्य की औषधियों का क्रय सीधे आपूर्ति मूल्य को कम कर उक्त नियमों के विपरीत किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र0सं0	फर्म का नाम	आदेश क्र0	क्रय की तिथि	मूल्य
1	MCD Hospital AIDS	17	13.07.15	48280
2	-do-	16	13.07.15	94250
5	Kothari Drug	915	08.07.15	64500
6	-do-	911	04.08.15	45000
7	-do-	913	07.07.15	95040
8	Karnataka Antibiotics	891	23.03.15	80000
9	-do-	890	21.03.15	85080
10	-do-	887	19.03.15	93607
11	Indian Drugs	893	24.03.15	92073
12	-do-	894	21.03.15	86830
13	-do-	885	18.03.15	93938
Total				8,78,598

लेखा परीक्षा की आपत्तियों को स्वीकारते हुये विभाग ने भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया।

अतः रू0 8.79 लाख मूल्य की औषधियों का अनियमित क्रय किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर -1:–रू0 106.39 लाख की धनराशि को रोकड़ बही में अंकित न किया जाना।

शासन के पत्रांक सं0 3/xxvii(6)/2013 दिनांक 02 जनवरी 2013 बिन्दु संख्या 4.9 में ई–पेमेंट प्रणाली में दिये गये दिशा निदेर्शो के अनुसार 'आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बन्धितों के बैंक खाते में अन्तरण हो जाने के विवरण का प्रिन्ट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बन्धित अभिलेखों–यथा 11 सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे'।

कार्यालय की रोकड़ बही में चयनित माहों (08/2015 एवं 06/2016) की नमूना जांच में पाया गया कि कुल रू0 106,38,634 की धनराशियों को रोकड़ बहीं में नहीं दर्शाया गया है। विवरण निम्नवत है।

Details		
Date	**Bill No**	**Amount**
03.08.15	31308	1408641
-do-	-do-	389559
-do-	p-15	1750000
17.08.15	p-19	4435
-do-	9-18	600000
18.08.15	p-16	30346
20.08.15	p-17	100000
26.08.15	p-20	500000
28.08.15	81408	1268983
-d0-	-d0-	387559
07.06.16	71306	1477760
-d0-	-do-	410684
13.06.16	01	350000
22.06.16	02	100000
28.06.16	81406	1455372
-do-	-do-	405295
Grand total		106,38,634

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने आपत्तियों को स्वीकारते हुये उत्तर में बताया कि भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः रू0 106.39 लाख की धनराशि को रोकड़ बही में अंकित नहीं किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग - V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i)

(ii) –शून्य–

(iii)

2. सतत् अनियमितताऐंः

(i) –शून्य–

3. लेखा परीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

कम सं0	नाम	अवधि
1	डा0 मीना पुनेरा भट्ट	25.10.11 से 25.11.13
2	डा0 आर0 एस0 सामंत	26.11.13 से 09.09.14
3	डा0 भागीरथी जोशी	09.09.14 से लगातार

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी को इस आशय से प्रषित कर दी जायेगी की अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उपमहालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

व0 लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र